

FROM No.III

फॉर्म अहकाम
(नियम 28)

अज्ञ अदालत..... सिद्धार्थ कलवेंकर मुकाम 111, 178, 179

..... सिद्धार्थ बनाम सिद्धार्थ कलवेंकर

किस्म मुकदमा 210/2020 नं. 111, 178, 179 सन 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियलम जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इम हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 23/09/2020 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>सिद्धार्थ कलवेंकर</u> नं यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 178</u> राजस्थान काश्तकारी/धू सज्जस्य अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/10/2020</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>सिद्धार्थ कलवेंकर</u> सहायक वकील</p> | |
| 21/10/2020 | <p><u>प्रार्थी</u> पक्ष में <u>उपायवाही</u> विप्रार्थी- गणों के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली विप्रार्थी गण)। विप्रार्थी गण वाकतुल तामिल अनुवृत्त। पीलाग पीलाग अधिकांश उद्देश्य इसमें से च्याप्य होने से मिशाल इल्लव दोहर प्रार्थना दिनांक <u>09/12/2020</u> से पेश की</p> | |
| 09/12/2020 | <p>पत्रावली 09/12/2020 को कलवेंकर सहायक वकील के द्वारा कार्यवाही के तामिल इल्लव दोहर दिनांक <u>17/02/21</u> का पेश हो।</p> | |

17/02/21

एवावली पेशा हातुं वावुलाय परिकोन उपस्थित
पीठासीन अधिकाऱी पदा पद रिक्त है
अतः एका बली इल्लका हाकर दिनांक 16/03/2021

डो पेशा हा/७

अजय अदालत
नारायण इल्लम

16/03/2021

एवावली पेशा हातुं वावुलाय परिकोन उपस्थित
पीठासीन अधिकाऱी पदा पद रिक्त है
अतः एका बली इल्लका हाकर दिनांक 08/06/21

डो पेशा हा/७

19/04/2022

08/06/21

एवावली पेशा हातुं वावुलाय परिकोन उपस्थित
पीठासीन अधिकाऱी पदा पद रिक्त है
अतः एका बली इल्लका हाकर दिनांक 13/08/2021

डो पेशा हा/७

13/08/2021

एवावली पेशा हातुं वावुलाय परिकोन उपस्थित
पीठासीन अधिकाऱी पदा पद रिक्त है
अतः एका बली इल्लका हाकर दिनांक 08/12/2021

डो पेशा हा/७


08/12/2021

~~अधी वहील उपस्थित/ विवाह/ विदु/~~
बीमान पीठासीन अधिकाऱी प्रशासन उच्चको के
सेवा समाप्त - 2021 केयो में व्याप्त होने से
मिशाल इल्लका हाकर आगामी दिनांक - 19/04/2022

डो पेशा हा/७

||

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज | नं व तारीख प्रहकाम जो हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 19/04/2022 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (SDO) बायतु </p> | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 391

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 27/04/2022
विप्रार्थीगण

1. गंगाराम पुत्र केसाराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी दुर्गाणियों का तला,
पटवार मण्डल लुणाडा,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. सारोदेवी पत्नी मेगाराम वगैरा 09,
जाति जाट, निवासी दुर्गाणियों का तला,
पटवार मण्डल लुणाडा,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 284 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - दुर्गाणियों का तला, पटवार मण्डल - लुणाडा, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 1649 रकबा 10.7031 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 392 - 96

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लुणाडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र केसाराम वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री सारोदेवी पत्नी मेगाराम वगैरा 09,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/04/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु